(ख) क्या सरकार का विचार प्रबन्धक-मंडलों को अधिक कुशल और सक्रिय बनाने की दृष्टि से इनमें सरकारी अधिकारियों के अतिरिक्त उपभोक्ता, कर्मचारी और जनता के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के प्रश्न पर गौर करने का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक, और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल): (क) से (घ). सार्वजनिक क्षेत्र की उर्वरक कम्पनियों के निदेशक बोर्ड में सामान्यतः कम्पनी के कार्यकारी निदेशक, अंशकालिक सरकारी निदेशक तथा अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक शामिल किए जाते हैं। गैर-सरकारी निदेशकों का चयन करते समय इस बात का उचित ध्यान रखा जाता है कि कम्पनी के लिए उपयोगी विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाए।

Production and Requirement of Synthetic Rubber

*953. SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

(a) the quantity of synthetic rubber produced in the country and total requirement of the same at present;

(b) whether synthetic rubber is being imported; and

(c) if so, the countries from which the imports are made?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI VEERENDRA PATIL): (a) The quantity of synthetic rubber produced in the country during 1978-79 and 1979-80 was 28,578 tonnes and 30,320 tonnes respectively. The estimated demand for synthetic rubber for 1980-81 is 50,000 tonnes.

(b) Yes, Sir.

(c) Imports are made from Belgium, Canada, France, West Germany, Japan, U.K. U.S.A. and U.S.S.R.

नर्मदा नहर से जल प्राप्त करने वाले राजस्थान के क्षेत्रों के नाम

*955. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन**: क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नर्मदा नहर से राजस्थान के किन-किन क्षेत्रों को तथा कितना-कितना क्यूसेक पानी मिलेगा तथा उसमें कितने क्षेत्र को सिंचाई हो सकेगी;

(ख) उक्त नहर के निर्माण हेतु वर्ष 1980-81 के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है तथा 1980 से 1985 तक कितनी राशि के दिए जाने का विचार है और इस निधि से कितना कार्य किया जायेगा; और

(ग) उक्त नहर का निर्माण कब तक पूरा हो जाने की संभावना है और उस पर कितना खर्च आयेगा?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पाण्डेय): (क) नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के अन्तिम निर्णय के अनुसार राजस्थान को 0.5 मिलियन एकड़ फुट जल आबंटित किया गया है। राजस्थान को यह जल, गुजरात द्वारा गुजरात-राजस्थान सीमा तक बनाई जाने वाली नवागांव नहर के जरिए दिया जाएगा। राजस्थान सीमा पर इस नहर की क्षमता 2500 क्यूसेक होगी। राजस्थान के जालोर और बाड़मेर जिलों का कामान क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाला कृषि योग्य क्षेत्र 148600 हेक्टेयर होगा।

(ख) राजस्थान सरकार ने वर्ष 1980-81 के लिए 20 लाख रूपये के और 1980-85 की योजना अवधि के लिए 20 करोड़ रूपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया है। राज्य द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करते समय विस्तृत निर्माण कार्यक्रम तैयार किया जाएगा।

(ग) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राजस्थान में नहर प्रणाली

की अनुमानित लागत लगभग 214 करोड़ रुपये है और इन निर्माण-कार्यों के शुरू होने के पश्चात् धनराशि उपलब्ध होने पर, लगभग 12 वर्षों में इन निर्माण-कार्यों के पूरा होने की संभावना है ।

गांवों में सिनेमा गृह खोलने के लिए प्रोत्साहन

*956. **श्री मूल चन्द डागा:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जिन बड़े गावों में बिजली लग गई है उनमें सिनेमा गृह खोलने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं; और यदि कोई प्रोत्साहन नहीं दिए गए हैं तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार गांवों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से बड़े गांवों में सिनेमा गृह स्थापित करने की कोई योजना बना रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यह योजना कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री बसन्त साठे): (क) से (ग). सरकार फिल्मों के माध्यम से ग्रामीण जनता में जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता के प्रति सजग है । फिल्म वित्त निगम (हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के साथ समामेलित) ने ग्रामीण, अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्रों में कम लागत वाले सिनेमाघरों के निर्माण को वित्तपोषित करने की एक योजना तैयार की थी । यह निगम आकर्षक ब्याज दरों पर ऋण देता है। इस योजना का ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम इस योजना को चालू रखेगा ।

विवरण

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की सिनेमाघरों के निर्माण को वितपोषित करने की योजना का ब्यौरा

1. सिनेमाघर कार्यात्मक और मितव्ययी होंगे और इसमें 430 से 500 व्यक्तियों के बैठने की जगह होगी।

2. निगम सिनेमाघरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता निम्नानुसार देगा:–

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में सिनेमाघरों के लिए अधिक से अधिक एक लाख रुपए तक का ऋण ।

(ख) अर्ध शहरी क्षेत्रों में सिनेमाघरों के लिए अधिक से अधिक 3 लाख रुपये तक का ऋण ।

(ग) शहरी क्षेत्रों में सिनेमाघरों के लिए कुल लागत का 50 प्रतिशत ऋण परन्तु अधिक से अधिक 7.5 लाख रुपए ।

3. ऋण की वापसी 60 समान किस्तों में की जाएगी और यह सिनेमाघर के खुलने की तारीख से 30 दिन के अन्दर या निम्नलिखित समय अवधि के अंदर, इनमें से जो भी पहले हो, शुरू होगी:–

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में सिनेमाघरों के लिए–दी गई पहली किस्त की तारीख से 8 मास।

(ख) अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सिनेमाघरों के लिए–पहली किस्त की अदायगी की तारीख से 11 मास ।

(ग) शहरी क्षेत्रों में सिनेमाघरों के लिए–पहली किस्त लेने की तारीख से 14 मास ।

4. इन ऋणों पर $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लिया जाएगा और समय पर अदायगी करने पर 1% रिबेट दिया जाएगा तथा निश्चित अवधि के आधे भाग के अन्दर अदायगी करने पर 1% और रिबेट दिया जायेगा ।

5. समान्यतया, इस योजना के अंतर्गत वित्त-पोषित सिनेमाघरों को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा वित्त पोषित/प्रायोजित फिल्मों के प्रदर्शन के लिए 50:50 प्रतिशत समय उपलब्ध करना होगा ।